

तारीख
हुम

एवं उपरोक्त आदेशों के अनुसार चैरा खजल
गट अख्या 155/09 निर्दिष्ट है 24/12/12
को धारणा करावय जाने हेतु उद्युक्त किया
गया है।

उपरोक्त कसबु काम कोष कोर्ट इंजराय
कोर्ट ने धारणा पत्र संख्या क्र 22/09/12
अख्या कि इस निर्दिष्ट को धारणा हो
सुकी है निर्दिष्ट उपरोक्त क्र 21-09 की धा
रणा का अधूरा रक्वा अधीन है रक्वा
में हकी धारणा धारणा।

प्रकरण में उपरोक्त निर्दिष्ट धारणा पत्र
व फटकारे धारणा की रिपोर्ट उपरोक्त
की धारणा में धारणा धारणा का मासिक
कर अख्या 1085 करे जाकर रिपोर्ट
22-10-2013 को हो सुकी है के लिये उपरोक्त
है।

इसके नव प्रकरण में इंजराय कोर्ट
के धारणा पत्र तथा राजस्व विभाग की रिपोर्ट
अधकारे ~~इ~~ उपरोक्त धारणा पत्र को धारणा
हो सुकी है। उक्त वर्तमान परिस्थितियों में
उक्त धारणा पत्र प्रभावहीन हो जाने से धारणा
किया जाता है। फरीवली फेलन सुमार एड
जाकर से काम ही।

उपरोक्त उपाय है 12-6-2017 को
कसबु काम कोष कोर्ट धारणा के चार एवा
धारणा को धारणा हुआ।

कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक)
जोधपुर



16/5/17

प्रार्थी व उसके वकील उपस्थित/विपक्षी
उपस्थित/अनुपस्थित प्रकरण को लोक अदालत/
केम्प कोर्ट में लेकर जाना हेतु निर्णय पर सहमत
है अतः प्रकरण को लोक अदालत में लेकर किया
जाता है पक्षकारानामिका 12/6/17.....को
केम्प कोर्ट/लोक अदालत समतुल्य माना रहे।

ए.सी.इ.एम.(FT)
जोधपुर

12/6/17

~~पक्षकारानामिका उज्जययामा केम्प
कोर्ट कोर्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रार कार्यालय में पेश हुई
केम्प में उपस्थित होने की सूचना को
पालना में इजरायमती उपस्थित किया।
अनुगत प्रकरण के आदेश में उक्त
रस प्रकरण के रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा दि
24/5/2013 को इररवास्तु इजराय
द्वारा आदेश - 21 जिसमें 11 के अंतर्गत
अनुगत कार रजिस्ट्रार कार्यालय के अंतर्गत~~



जोधपुर जिला
जोधपुर

रजिस्ट्रार - 2